10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका कमांक 1358/PBR/11 ..../11

ढए

(1) श्रीमती ऊषा यादव ~~एवं अन्य~~ पत्नी श्री रामेश्वर सिंह यादव निवासी - ग्राम = जोहराखुर्द तहसील व जिला - मुरैना (म०प्र०) .... पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

(2) भूरी मावई w/o श्री पंजाब सिंह मावई निवासी - जयनगर चौरखरी मुरैना (म०प्र०)

विरूद्ध

(1) सीताराम ~~एवं + अन्य~~ s/o श्री ख्यालीप्रसाद .... अनावेदकगण

(2) छगनलाल s/o श्री ख्यालीप्रसाद दोनों निवासी - ग्राम = रासलाखेड़ी तहसील - हुजूर जिला - भोपाल

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-35(3) सहपठित धारा-32

म प्र भू-राजस्व संहिता-1959

ऊषा / सीताराम

रे.मा. 3795-PDR/13 भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.8.2014	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यद्यपि आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु चूंकि आवेदकगण के अभिभाषक पेशी दिनांक 25.9.2013 को विलम्ब से उपस्थित हो गये थे, इसलिये मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किये जाने का औचित्य बनता है। अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क उचित नहीं है कि मूल प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त होने पर या तो आवेदकगण पुनर्स्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है, अथवा अधिवक्ता को पुनर्स्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत करने हेतु नये सिरे से अभिभाषक पत्र देना चाहिये। वर्तमान प्रकरण में अभिभाषक प्रस्तुत नहीं होने से भी पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि पक्षकार द्वारा अभिभाषक नियुक्त कर दिये जाने के पश्चात अभिभाषक की त्रुटि के कारण पक्षकार दण्डित किया जाना उचित नहीं है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	